



भारत सरकार / Government of India

वस्त्र मंत्रालय / Ministry of Textiles

पटसन आयुक्त का कार्यालय / Office of the Jute commissioner

पटसन भवन, सीएफ ब्लॉक / Patsan Bhawan, CF Block,

सातवां व आठवां तल, एक्शन एरिया-1 / 7th & 8th Floor, Action Area-1

न्यूटाउन, कोलकाता / Newtown, Kolkata – 700156

फाइल संख्या : पटसन(विपणन)/106/2018

दिनांक: 24.09.2025

आदेश

पटसन और पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 के खंड 6(1) (iii) और खंड 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खंड 5 एवं 6(2) में उल्लिखित कारकों पर विचार करने के उपरांत मैं, मलय चंदन चक्रवर्ती, पटसन आयुक्त, एतद्वारा निर्देश देता हूँ कि आप किसी भी समय अपने स्वयं के खाते में और/ या तीसरे पक्ष के खाते में कच्चे जूट की मात्रा नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित मात्रा से अधिक नहीं रखेंगे :-

	कच्चे जूट के स्टॉकिस्ट/जूट मिलों की श्रेणी	कच्चे जूट की अधिकतम मात्रा रखी जाएगी
(क)	(ख)	(ग)
1	ऐसे स्टॉकिस्ट जो कच्चे जूट के बेलर हैं और जिनके एक ही परिसर में कच्चा जूट बेलिंग प्रेस है।	2000 क्विंटल
2	कच्चे जूट के स्टॉकिस्ट की अन्य सभी श्रेणियाँ	300 क्विंटल
3	कच्चे जूट से जूट वस्तुएं बनाने वाली निर्माण इकाईयाँ/जूट मिल	चालू उत्पादन दर के अनुसार 45 दिनों की खपत

2. मैं आगे निर्देश देता हूँ कि अगर यह धारित किए जा रहे कॉलम (बी) में उल्लिखित कच्चे जूट व्यापारियों की श्रेणी के अनुरूप कॉलम (सी) में उल्लिखित मात्रा से अधिक होती है तो इस आदेश की तारीख से 15 दिनों के भीतर कच्चे जूट की अतिरिक्त मात्रा को बेच दें और 20 अक्टूबर, 2025 के भीतर परेषिती (कन्साइनी) को उक्त मात्रा की डिलीवरी वास्तविक रूप से करें तथा उसके तुरंत बाद सत्यापन के लिए समर्थित दस्तावेजी साक्ष्य के साथ कच्चे जूट की अधिक मात्रा की बिक्री/डिलीवरी का उल्लेख करते हुए एक अनुपालन रिपोर्ट ईमेल (jcoffice@jutecomm.gov.in) द्वारा हमें भेजें। अगर आपके पास उपर्युक्त सीमा से ज्यादा स्टॉक है, तो नए स्टॉक की खरीद तुरंत रोक दें जब तक कि स्टॉक उल्लिखित सीमा से नीचे न आ जाए।

3. मैं आगे निर्देश देता हूँ कि आप अपने धारित स्टॉक को जूट स्मार्ट पोर्टल पर हरेक शुक्रवार को साप्ताहिक रिपोर्ट के द्वारा घोषित/अद्यतित करें जो http://jutecomm.gov.in/Jute_Smart.html माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।

4. एक परिसर में स्टॉक किए गए कच्चे जूट को, चाहे ऐसे व्यापारियों/स्टॉकिस्टों के नाम भिन्न भिन्न क्यों न हो, इस आदेश की व्याख्या के प्रयोजनार्थ एक ही स्टॉक माना जाएगा, ऐसे अपवाद को छोड़कर जब उक्त जूट को एक वाणिज्यिक गोदाम में स्टॉक किया जाता हो और व्यापारी/स्टॉकिस्ट पृथक व्यापार लाइसेंस, पृथक पैन, पटसन आयुक्त के कार्यालय के साथ अलग पंजीकरण और गोदाम किराए के लिए अलग किराया अनुबंध/रसीद सभी एक साथ और सामूहिक रूप से प्रस्तुत करने में सक्षम हों।

....2/-

5. यदि आपने कच्चा जूट स्टॉक की बिक्री के लिए संविदा निष्पादित की है तो जबतक यह खरीदार को भौतिक रूप से सुपुर्द नहीं कर दिया जाता तबतक विक्रेता द्वारा धारित स्टॉक विक्रेता का धारित स्टॉक समझा जाएगा।
6. यदि आप इस आदेश के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर पाते हैं तो आप पटसन एवं पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 के खंड 11 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 के तहत दंडनीय होंगे, जिसमें कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।
7. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और किसी भी समय इसे संशोधित करने के अधिकार के तहत अगले आदेश तक वैध माना जाएगा।
8. मैं आगे यह भी निर्देश देता हूँ कि यह आदेश भारतीय जूट निगम द्वारा खरीदे गए कच्चे जूट के स्टॉक पर लागू नहीं होगा। हालांकि यह आदेश जूट मिलों द्वारा रखे गए उस स्टॉक जो भारतीय पटसन निगम द्वारा बेचा गया है, पर लागू होगा।
9. इसके अलावा, उपर्युक्त आदेश के खंड 9(1) के उप-खंड (बी) और (सी) के अनुसरण में, मैं राज्य पुलिस अधिकारियों तथा अधिकृत प्रतिनिधियों को परिसरों सहित गोदामों में प्रवेश करने और तलाशी लेने के लिए तथा इस आदेश के जवाब में उनके द्वारा रखे गए स्टॉक को सही ढंग से घोषित किया गया है या नहीं, यह सत्यापित करने के लिए उनके कब्जे के अधीन उनके बहियों और अन्य अभिलेखों का निरीक्षण करने तथा पूर्व में जारी किए गए और फिलहाल प्रभावी किसी भी अन्य आदेश के अनुपालन की जांच करने एवं कच्चे जूट को जब्त करने का जिसके बारे में उनके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसे इस आदेश या जारी किए गए और फिलहाल प्रभावी किसी भी अन्य आदेश के उल्लंघन में संग्रहित किया गया है तथा पटसन और पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत अन्य कोई भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए, मैं सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने का निदेश देता हूँ।

डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित
दिनांक 24.09.2025 17:13:57
(मलय चंदन चक्रवर्ती)
पटसन आयुक्त

सेवा में,
(कच्चे जूट के सभी बेलर/व्यापारी/डीलर/एजेंसी/स्टॉकिस्ट)
(सभी जूट मिलें/कच्चे जूट से जूट वस्तुएं बनाने वाली निर्माण इकाईयाँ)